मध्यप्रदेश शासन
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग
मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 4 दिसम्बर 2007

क्रमांक एफ–7–6/2007/छैः/1.–संक्षिप्त नियम (1) यह नियम मध्यप्रदेश शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के पाकिस्तान स्थित हिंगलाज देवी मंदिर तथा ननकाना साहेब यात्रा नियम, 2007 कहलायेंगे।

2. उद्देश्य तथा परिभाषा–

(1) इस योजना का उद्देश्य पाकिस्तान स्थित हिंगलाज देवी मंदिर तथा ननकाना साहेब तीर्थयात्रा पर जाने वाले प्रदेश के यात्रियों को आर्थिक सहायता पहुंचाना है।

(2) तीर्थ यात्रियों से तात्पर्य उन व्यक्तियों से है, जिन्होंने पाकिस्तान स्थित हिंगलाज देवी मंदिर तथा ननकाना साहेब की यात्रा पूर्ण कर ली हो।

3. तीर्थ यात्रा जाने के लिये पात्रता–

(1) पाकिस्तान स्थित हिंगलाज देवी मंदिर तथा ननकाना साहेब की तीर्थयात्रा पर जाने वाला व्यक्ति मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।

(2) जीवनकाल में केवल एक बार अनुदान प्राप्त करने की पात्रता होगी।

4. तीर्थ यात्रा हेतु अनुदान राशि–

(1) मध्यप्रदेश के ऐसे व्यक्ति, जिन्हेंने पाकिस्तान स्थित हिंगलाज देवी तथा ननकाना साहेब की यात्रा पूर्ण कर ली हो तो उन्हें यात्रा उपरान्त यात्रा पर हुए वास्तविक व्यय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा और ऐसी यात्रा पर हुए व्यय का 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति अधिकतम रूपये 30,000/– तक राज्य शासन द्वारा की जायेगी।

(2) अनुदान प्राप्त करने के लिये प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम, भोपाल को आवेदन करना होगा एवं पर्यटन विकास निगम अभिलेखों की जांच के पश्चात् अनुदान की राशि का भुगतान करेगा।

5. अनुदान का भुगतान–

अनुदान प्राप्त करने हेतु पात्र व्यक्ति तीर्थयात्रा उपरान्त अपने दावे निर्धारित प्रपत्र मे प्रमाणित अभिलेख सहित प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम, भोपाल को यात्रा समाप्ति के 60 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करेगा।

इस नियम के किसी भी खण्ड या उपखण्ड की व्याख्या के लिये प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के निर्देश अंतिम होंगे। यह नियम अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे है।

उक्त नियम राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./–
(प्रभा चौधरी)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग।

प्रपत्र

पाकिस्तान स्थित हिंगलाज देवी मंदिर तथा ननकाना साहेब तीर्थयात्रा हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिये आवेदन–पत्र :–

(1) यात्री का नाम

(2) पिता / पति का नाम

(3) व्यवसाय

(4) निवास स्थान का पूर्ण पता (दूरभाष क्रमांक यदि हो तो)

(5) यात्रा का दिनांक एंव पासपोर्ट की प्रतिलिपि

(6) पाकिस्तान स्थित हिंगलाज देवी मंदिर तथा ननकाना साहेब की यात्रा पूर्ण करने का प्रमाण –पत्र

(7) यात्रा पर हुए व्यय का विवरण

(8) पाकिस्तान स्थित हिंगलाज देवी मंदिर तथा ननकाना साहेब की क्या प्रथम यात्रा है (हां / नहीं)

(9) पहचान–पत्र

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :
दिनांक :

मध्यप्रदेश शासन
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग
मंत्रालय

संशोधन

भोपाल दिनांक 31 मई 2016

क्र. एफ–3–23–2016–छः.–विभागीय आदेश क्रमांक 7–6–2007–छः.–1 दिनांक 4 2007 से पाकिस्तान स्थित हिंगलाज देवी मंदिर तथा ननकाना साहेब तीर्थयात्रा हेतु पाकिस्तान स्थित हिंगलाज देवी मंदिर ननकाना साहेब यात्रा नियम, 2007 प्रसारित किए गए थे, जिसकी कंडिका 4(2) में अनुदान राशि के संबंध में एवं 5 में अनुदान के भुगतान के संबंध में निम्नानुसार निर्देश थे :–

कंडिका 4 (2)–'' अनुदान प्राप्त करने के लिये प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम, भोपाल को आवेदन करना होगा एवं पर्यटन विकास निगम अभिलेखों की जांच के पश्चात् अनुदान राशि का भुगतान करेगा''

कंडिका 5–'' अनुदान प्राप्त करने हेतु पात्र व्यक्ति तीर्थयात्रा उपरान्त अपने दावे निर्धारित प्रपत्र में प्रमाणित अभिलेख सहित प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम, भोपाल को यात्रा की समाप्ति के 60 दिवस की समयावधि मे प्रस्तुत करेगा।''

पूर्व प्रसारित उक्त आदेश दिनांक 4 दिसम्बर, 2007 के निगम की उपरोक्त कंडिका 4(2) एवं 5 को विलोपित करते हुए निम्नानुसार कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है :–

'' अनुदान प्राप्त करने के लिये संबंधित जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश को आवेदन करना होगा एवं कार्यालय कलेक्टर अभिलेखों की जांच के पश्चात् अनुदान की राशि का भुगतान करेगा. अनुदान प्राप्त करने हेतु पात्र व्यक्ति उपरान्त अपने दावे निर्धारित प्रपत्र में प्रमाणित अभिलेख सहित संबंधित जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश की यात्रा समाप्ति के 60 दिवस की समयावधि मे प्रस्तुत करेगा।''

उक्त संशाधित नियम राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावशील होगें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(मनोज श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव.
मध्यप्रदेश शासन,
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग।

मध्यप्रदेश शासन
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग
मंत्रालय

संशोधन

भोपाल दिनांक 16 दिसम्बर 2016

क्र. एफ–3–80–2016–छः.– विभागीय आदेश क्रमांक एफ. 7–6–2007–छः–1 दिनांक 4 दिसम्बर, 2007 से पाकिस्तान स्थित हिंगलाज देवी मंदिर तथा ननकाना साहेब तीर्थयात्रा हेतु पाकिस्तान स्थित हिंगलाज देवी मंदिर तथा ननकाना साहेब यात्रा नियम, 2007 प्रसारित किये गये थे में एतद्द्वार संशोधन किया जाता है।

नियम 3 (1) में 'पाकिस्तान स्थिति हिंगलाज देवी मंदिर तथा ननकाना साहेब तीर्थयात्रा पर जाने वाला व्यक्ति मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो' के पश्चात् निम्न शब्द जोड़े जाते है :

परन्तु वह आयकर दाता न हो।

शेष शर्तें पूर्व में जारी स्वीकृति क्रमांक एफ 7–6–2007–छः–1 दिनांक 4 दिसम्बर 2007 के अनुसार रहेंगी।

(मनोज श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव.
मध्यप्रदेश शासन,
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग।